

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री अरुण पारीक निवासी नियर एसडीम कॉर्ट खेतरी जिला झुन्झुनू

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (प्रभारी अधिकारी भू-अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा।)

प्रकरण संख्या :- 173 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none">पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन-पत्र दिनांक 15.10.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (प्रभारी अधिकारी भू-अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा) से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249168002550123 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (प्रभारी अधिकारी भू-अनुभाग, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा) से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 77851 दिनांक 16.12.2025 से अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 73007 दिनांक 06.11.2025 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 23-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी

जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा
लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा